**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,**
**बिहार, पटना**

**मेल / निबंधित**

**आदेश**

सं0सं0–11 / एल0(स्था0)–07 / 2018–..................(11)          / पटना, दिनांक–..................

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(2) में निहित प्रावधानएवं शर्तों के तहत चयन समिति की बैठक दिनांक–19.09.2018 को प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही में सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–12717, दिनांक–20.09.2018 के द्वारा की गई अनुशंसा के क्रमांक–14, 18 में अंकित सेवानिवृत अचिकित्सा सहायक को निम्नांकित शर्तो के साथ अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग, कुष्ठ, कटिहार के पत्रांक–64, दिनांक–11.06.2018 एवं अपर उपाधीक्षक–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक–345, दिनांक–12.12.2017 के आलोक में संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में अचिकित्सा सहायक के पद पर नियोजित किया जाता है :–

| क्र0 | सेवानिवृत कर्मी का नाम | सेवानिवृत कर्मी का पदनाम | जन्म तिथि | सेवानिवृति तिथि | पदस्थापन के कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री अबुल अकवाल, | अचिकित्सा सहायक | 01.10.1958 | 30.09.2018 | जिला कुष्ठ निवारण (संचारी रोग, कुष्ठ) कटिहार |
| 2. | श्री लाल बाबु सिंह, | अचिकित्सा सहायक | 28.03.1958 | 31.03.2018 | जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) |

1. यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की होगी। अचिकित्सा सहायक की नियमित नियुक्ति होने पर उनका संविदा नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
2. संकल्प की कंडिका 3 (2) (क) (iv) के तहत कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।
3. संकल्प की कंडिका 3 (2) (5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में अ0श0चि0–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. संकल्प की कंडिका 3 (6) (i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका3 (6) (ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। कंडिका 3 (6) (iv) के तहत सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की तिथि में निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
5. मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग / कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष संविदा सेवाऐं के लिए अदायेगियॉ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
6. संकल्प की कंडिका–(4) के तहत सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।
7. संकल्प की कंडिका–(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भॉति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0 / –
**(डा0 आर0 डी0 रंजन)**
निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

D:\Mojibur Rahman\ORDER.docx

ज्ञापांकः–11/एल0(स्था0)–07/2018–188(11) /पटना, दिनांक–18.02.19

**प्रतिलिपिः–** सिविल सर्जन,/अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, (संचारी रोग, कुष्ठ),/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (कुष्ठ प्रभाग) कटिहार/ मोतिहारी/ जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय (संचारी रोग, कुष्ठ) कटिहार/ जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** श्री अबुल अकवाल, सेवानिवृत, अचिकित्सा सहायक, जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, (संचारी रोग, कुष्ठ), कटिहार, सम्प्रति विधायक कॉलोनी रामपाड़ा, वार्ड नं0–23, पो0+था0+जिला–कटिहार/श्री लाल बाबु सिंह, सेवानिवृत, अचिकित्सा सहायक, जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, सम्प्रति ग्रा0–हारिल छपरा, था0–मलाही, जिला–पूर्वी चम्पारण, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

18/2/19

**निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)**
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

D:\Mojibur Rahman\ORDER.docx